न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 23/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. गुलाब पुत्री भंवरलाल जाति मीणा (मृतक)
1/1 बद्रीबाई पुत्री गुलाब
1/2 रोशनबाई पुत्री गुलाब
1/3 हेमराज पुत्र गुलाब (मृतक)
1/3/1 शिवकुमार पुत्र हेमराज
1/3/2 निर्मला पुत्री हेमराज
1/3/3 सन्तोष पुत्री हेमराज
1/3/4 मनभर पुत्री हेमराज
1/3/5 लक्ष्मीबाई पुत्री हेमराज
1/3/6 जानकीबाई बेवा हेमराज जातिगण मीणा निवासीगण हिंगोनिया, तहसील, बारां(राज.)

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 11.10.2023

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख0नं0 199 रकबा 1.43 है. किस्म बारानी I वाके ग्राम बोहत तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014–23 में खसरा नंबर 114 मि. रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। खसरा नंबर 114 मि. रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 199 रकबा 1.43 है. किस्म बारानी I कायम किये जाकर उक्त भूमि अवैधानिक रूप से श्रवणलाल पुत्र भंवरलाल कोम मीणा निवासी हिंगोनिया के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069–72 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में ऐसे सभी आवंटन/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी

आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि वाके माल बोहत तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नंबर 199 रकबा 1.43 है0 साबिक खसरा नंबर 114 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा गैर मुमकिन तलाई रिकार्ड में दर्ज है किन्तु वहां मौके पर कोई तलाई नही थी ना वर्तमान में कोई तलाई है। उक्त आराजी का आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का भौतिक सत्यापन कर मौके की स्थिति की जानकारी लेकर उक्त भूमि आवंटन योग्य होने पर ही नियमानुसार आवंटित की गई। वर्तमान में अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त भूमि अप्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र सहारा है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

3— उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014—23 में खसरा नंबर 114 मि. रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 199 रकबा 1.43 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म बारानी I कायम कर अवैधानिक रूप से श्रवणलाल पुत्र भंवरलाल कोम मीणा निवासी हिंगोनिया के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069—72 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

4— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा मौके की स्थिति की जानकारी लेकर भूमि आवंटन योग्य पाये जाने पर ही नियमानुसार आवंटित की गई थी। मौके पर कोई तलाई मौजूद नहीं थी और ना वर्तमान में मौके पर कोई तलाई है। वर्तमान मे अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त आराजी अप्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है। मौके पर भूमि समतल तथा कृषि योग्य है तथा वहां पर तलाई का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:57 IST
Reason: SelfAttested

5— हमने पेरोकार सरकार व अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014—23 अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बोहत खसरा नंबर 114 मि. रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका श्रवणलाल पुत्र भंवरलाल कौम मीणा निवासी हिंगोनिया को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के

बाद सेटलमेंट संवत 2044–62 नये खसरा नम्बर 199 रकबा 1.43 है. किस्म बारानी I बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार श्रवणलाल पुत्र भंवरलाल कौम मीणा निवासी हिंगोनिया को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। श्रवणलाल पुत्र भंवरलाल कौम मीणा निवासी हिंगोनिया को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम बोहत में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 1.43 है. किस्म बारानी I जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 114 मि. रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका श्रवणलाल पुत्र भंवरलाल कौम मीणा निवासी हिंगोनिया को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8– तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 11.10.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:57 IST
Reason: SelfAttested